"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 226] रायपुर, सोमवार, दिनांक 23 सितम्बर 2002—आश्विन 1, शक 1924

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 23 सन् 2002)

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 3) विधेयक, 2002

वित्तीय वर्ष 2002-2003 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिये विधेयक.

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 3) अधिनियम, 2002 है.

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिये राज्य की संचित निधि में से 863,36,06,116 रुपयों का दिया जाना.

2. छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग आठ सौ तिरसठ करोड़, छत्तीस लाख, छ: हजार, एक सौ सोलह रुपया होता है उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिये, जो अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं की बाबत वित्तीय वर्ष 2002-2003 के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

विनियोग.

3. इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखिये)

अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन		निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
			विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
			रुपये	रुपये	रुपये
..	भारित विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा.	राजस्व	0	23,32,15,000	23,32,15,000
..	भारित विनियोग-लोक ऋण	पूंजी	0	75,96,800	75,96,800
01	सामान्य प्रशासन	राजस्व	1,74,63,700	2,20,000	1,76,83,700
02	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय.	राजस्व	44,00,000	0	44,00,000
03	पुलिस	राजस्व	85,67,800	0	85,67,800
04	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	5,00,000	0	5,00,000
06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	59,00,000	0	59,00,000
07	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	5,51,88,300	2,00,000	5,53,88,300
10	वन	राजस्व	5,00,100	0	5,00,100
11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	2,00,00,000	0	2,00,00,000
12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	15,77,48,000	0	15,77,48,000
13	कृषि	राजस्व	13,00,100	0	13,00,100
14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	4,17,06,700	0	4,17,06,700
15	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजनांतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	4,18,00,000	0	4,18,00,000
16	मछली पालन	राजस्व	34,10,000	0	34,10,000
17	सहकारिता	राजस्व	75,49,000	0	75,49,000
		पूंजी	36,04,47,500	0	36,04,47,500
18	श्रम	राजस्व	2,50,000	0	2,50,000
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	9,89,240	5,38,000	15,27,240
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व	100	0	100
		पूंजी	38,75,000	0	38,75,000
21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	4,41,44,000	0	4,41,44,000
23	जल संसाधन विभाग	पूंजी	40,00,000	0	40,00,000
24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	राजस्व	20,05,00,000	0	20,05,00,000
		पूंजी	63,77,00,100	0	63,77,00,100
25	खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	7,00,000	0	7,00,000
26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	69,00,000	0	69,00,000
27	स्कूल शिक्षा	राजस्व	18,67,43,800	0	18,67,43,800
		पूंजी	5,00,00,000	0	5,00,00,000
28	राज्य विधान मंडल	राजस्व	56,00,000	0	56,00,000
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	राजस्व	5,49,43,000	5,00,000	5,54,43,000

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
			रुपये	रुपये	रुपये
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	71,07,48,000	0	71,07,48,000
32	जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	1,47,86,000	0	1,47,86,000
34	समाज कल्याण	राजस्व	48,80,000	0	48,80,000
36	परिवहन	राजस्व	42,00,000	0	42,00,000
37	पर्यटन	राजस्व	1,50,00,000	0	1,50,00,000
39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	2,01,99,40,000	0	2,01,99,40,000
		पूंजी	50,00,000	0	50,00,000
40	आयाकट विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	32,35,000	0	32,35,000
		पूंजी	1,31,50,000	0	1,31,50,000
41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	राजस्व	1,10,16,63,400	0	1,10,16,63,400
		पूंजी	35,65,20,600	0	35,65,20,600
42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल.	पूंजी	97,18,00,100	0	97,18,00,100
43	खेल और युवक कल्याण	राजस्व	32,00,000	0	32,00,000
44	उच्च शिक्षा	राजस्व	22,48,300	0	22,48,300
45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	पूंजी	20,00,00,000	0	20,00,00,000
47	तकनीकी शिक्षा और जन शक्ति नियोजन विभाग.	राजस्व	73,19,200	0	73,19,200
49	अनुसूचित जाति कल्याण	राजस्व	99,07,000	0	99,07,000
55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	राजस्व	2,55,00,000	0	2,55,00,000
56	ग्रामोद्योग	राजस्व	1,86,16,000	1,75,076	1,87,91,076
57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें.	पूंजी	3,52,00,000	0	3,52,00,000
58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय.	राजस्व	29,00,000	0	29,00,000
60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	पूंजी	7,50,00,000	0	7,50,00,000
64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना.	राजस्व	18,53,91,600	0	18,53,91,600
		पूंजी	3,20,00,200	0	3,20,00,200
66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	राजस्व	1,58,00,000	0	1,58,00,000
67	लोक निर्माण कार्य-भवन	राजस्व	8,90,000	0	8,90,000
		पूंजी	6,93,21,000	0	6,93,21,000
68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन.	पूंजी	400	0	400
75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	पूंजी	6,00,00,000	0	6,00,00,000
78	ग्रामोद्योग विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	पूंजी	1,00,00,000	0	1,00,00,000
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	6,71,34,000	0	6,71,34,000
		पूंजी	1,50,00,000	0	1,50,00,000

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
			रुपये	रुपये	रुपये
80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	27,69,60,000	0	27,69,60,000
81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता.	राजस्व	7,88,24,000	0	7,88,24,000
82	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	5,62,00,000	0	5,62,00,000
	योग	राजस्व	5,49,21,46,340	23,48,48,076	5,72,69,94,416
		पूंजी	2,89,90,14,900	75,96,800	2,90,66,11,700
	वृहद् योग		8,39,11,61,240	24,24,44,876	8,63,36,06,116

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के साथ पठित उसके अनुच्छेद 204 (1) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुर:स्थापित किया जा रहा है जो वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि पर अनुपूरक भारित व्यय और छत्तीसगढ़ सरकार के व्यय के लिये विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित हैं.

2. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर
तारीख 17 सितम्बर, 20

रामचन्द्र सिंहदेव
भारसाधक सदस्य

"संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल के द्वारा अनुशंसित"

भगवानदेव ईसरानी
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.